

कोयला मंत्रालय
मांग संख्या 10
कोयला मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	119.82 103.50 223.32	200.00 ... 200.00	319.82 103.50 423.32	106.50 103.50 210.00	200.00 ... 200.00	306.50 103.50 410.00	152.05 ... 152.05	40.02 ... 40.02	192.07 ... 192.07	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं श्रम और रोजगार कोयला खान श्रमिक कल्याण	3451	4.50	6.77	11.27	2.50	6.82	9.32	3.00	7.91	10.91
2. कोयला खान पेंशन योजना/जमा संबद्ध बीमा योजना को अंशदान कोयला और लिग्नाइट	2230	...	31.46	31.46	...	31.46	31.46	...	29.15	29.15
3. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	...	90.00	90.00	...	100.03	100.03	...	0.01	0.01
4. कोयला खान क्षेत्रों में यातायात आधारमूल संरचना का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	...	69.12	69.12	...	59.09	59.09	...	0.01	0.01
5. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण	6803	103.50	...	103.50	103.50	...	103.50
6. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2803	9.88	...	9.88	12.43	...	12.43	20.08	...	20.08
7. क्षेत्रीय अन्वेषण	2803	51.84	...	51.84	43.00	...	43.00	49.88	...	49.88
8. व्यापक ड्रिलिंग	2803	12.83	...	12.83	22.50	...	22.50	18.81	...	18.81
9. पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्रण	2803	18.22	...	18.22	4.85	...	4.85	44.86	...	44.86
10. कोयला नियंत्रक	2803	0.22	2.35	2.57	0.22	2.29	2.51	0.22	2.61	2.83
11. भुगतान आयुक्त	2803	...	0.30	0.30	...	0.31	0.31	...	0.33	0.33
जोड़-कोयला और लिग्नाइट	196.49	161.77	358.26	186.50	161.72	348.22	133.85	2.96	136.81	
12. कोयला भंडार वाले क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरा किया गया व्यय										
12.01 कोयला पूरित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4803	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
12.02 घटाइए- कोयला भंडार वाले क्षेत्र अधिग्रहण से पूरा किया गया व्यय	4803	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00
<i>Total</i>	
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	22.33	...	22.33	21.00	...	21.00	15.20	...	15.20
कुल जोड़		223.32	200.00	423.32	210.00	200.00	410.00	152.05	40.02	192.07
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
12.01 नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड	12801	...	243.07	243.07	...	90.00	90.00	...	365.56	365.56
	12803	...	237.63	237.63	...	177.00	177.00	...	274.44	274.44
<i>Total</i>		...	480.70	480.70	...	267.00	267.00	...	640.00	640.00
12.02 कोल इण्डिया लिमिटेड	12803	...	2310.00	2310.00	...	1877.35	1877.35	...	2814.35	2814.35
12.03 सिगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	12803	...	325.00	325.00	...	275.00	275.00	...	395.00	395.00
जोड़		...	3115.70	3115.70	...	2419.35	2419.35	...	3849.35	3849.35
ग. आयोजना परिव्यय										
1. विद्युत	12801	...	243.07	243.07	...	90.00	90.00	...	365.56	365.56
2. कोयला और लिग्नाइट	12803	200.99	2872.63	3073.62	189.00	2329.35	2518.35	136.85	3483.79	3620.64
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	22.33	...	22.33	21.00	...	21.00	15.20	...	15.20
जोड़		223.32	3115.70	3339.02	210.00	2419.35	2629.35	152.05	3849.35	4001.40

1. **सचिवालय:** इसमें कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **कोयला खान पेंशन योजना को अंशदान:** कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू की गई। इस योजना के लिए निधियों का वित्तपोषण कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा कुल परिलब्धियों के 1.1/6% के अंशदान द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार भी 1600 रुपए प्रतिमाह की उच्चतम सीमा के अधीन कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों के 1.2/3% की दर पर अंशदान करती है। योजना के प्रशासन की लागत आंशिक तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है। कोयला खानिकों के लिए जमा से संबद्ध बीमा योजना के लिए भी व्यवस्था की जाती है।

3. **कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा :** इसमें भंडारण और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए की गई व्यवस्था शामिल है। इस उद्देश्य के लिए निधि की व्यवस्था कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन गैर-कोकिंग कोयले पर 10 रुपए प्रति टन की दर से कोयले के प्रेषण पर उपकर (उत्पाद-शुल्क) लगाकर की जाती है।

4. **कोयला खान क्षेत्रों में यातायात की आधारभूत संरचना का विकास:** इसमें कोयला खान क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन आधारभूत ढांचे के विकास के लिए व्यवस्था है। यह व्यवस्था एकत्रित उपकर में से की जाती है।

6. **अनुसंधान और विकास:** कोयला उद्योग में प्रत्याशित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है।

7. **क्षेत्रीय अन्वेषण :** इसमें कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि की पूर्ति करने की दृष्टि से कोयला और लिग्नाइट के क्षेत्रीय अन्वेषण की गति तेज करने के लिए व्यवस्था की गई है।

8. **व्यापक ड्रिलिंग:** कोल इंडिया लिमिटेड-भिन्न कोयला खनन प्रखंडों में विस्तृत तलवेधन हेतु प्रावधान किया गया है ताकि उत्पन्न भूगर्भीय रिपोर्टें भावी निवेशको में कोयला खनन प्रखंडों में निवेश करने के निर्णय लेने और खनन योजना की तैयारी करने में समय की कटौती में सहायता कर सकती है। इस उपाय से कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

9. **पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्रण :** इसमें कोयला खान क्षेत्रों में भूमि सुधार और अवतलन नियंत्रण सहित पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपाय करने के लिए प्रावधान किया गया है।

10. **कोयला नियंत्रक :** कोयला नियंत्रक के कार्यालय एवं उसकी स्थापना के लिए प्रावधान है।

11. **भुगतान आयुक्त:** भुगतान आयुक्त के कार्यालय एवं उसकी स्थापना के लिए व्यवस्था है।

12. **कोयला भण्डार वाले क्षेत्रों का अधिग्रहण:** इसमें कोल इण्डिया लिमिटेड के कोयला भण्डार क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए व्यवस्था है। कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा निधियां अग्रिम तौर पर प्रदान की जाती हैं।